राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय ::-

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर : बनाम : गोकुल वगै.

एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या: **56/1985**

*** * * * ***

निर्णय दिनांक : 5 जनवरी, 2006

-: उपस्थित:-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री एन.के.व्यास।

न्यायालय द्वारा :

यह अपील अपर जिला न्यायाधीश, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.4.1985 की नाराजगी में वादी-अपीलाण्ट स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की ओर से प्रस्तुत की गई है। रेस्पोंडेण्ट की तामील के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं आया। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया था। रेकर्ड के अवलोकन से पाया जाता है कि इसका बी, सी व डी पार्ट वीडेड ऑफ हो चुका है, मगर चूंकि इस अपील में सीमित प्रश्न, ब्याज जो डिक्री के दौरान दिलाया गया है, का ही प्रश्न निहित है, अत: योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रतिवादी-रेस्पोंडेण्ट संख्या 3, 4 व 5 के पिता रामा, प्रतिवादी संख्या 6,7,8 व 9 के पिता उदा व प्रतिवादी-रेस्पोंडेण्ट गोकुल व कुशाल द्वारा जो चार हजार रूपए का ऋण लिया और

बन्धक-पत्र बैंक के हक में तहरीर व तकमील किया, की नकल पेश की है। मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का भी अवलोकन किया गया, जिसमें भी यही तथ्य अंकित किए गए हैं कि कुआ खुदवाने के लिए संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा स्वर्गीय रामा व उदा भील ने वादी-बैंक के यहां से चार हजार रूपए कर्जा लिया और वादी बैंक के हक में साधारण रहन नामा निष्पादित किया व रजिस्ट्री करवाई और प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा इसकी जमानत दी गई थी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब आने के बाद तनकीयात कायम करके वादी की साक्ष्य कलमबन्द की। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम तनकीयात वादी के पक्ष में तय की गई। इसमें असल मूलधन चार हजार रूपए की राशि का था, उस पर ब्याज लगाया जाकर कुल रकम रूपए 12,985.60 की प्राथमिक डिक्री पारित की गई। तीन माह में इस रकम की अदायगी प्रतिवादीगण वादी को अदा करेंगे और यदि इस अवधि में रकम की अदायगी नहीं की गई तो वाद-पत्र के पैरा संख्या 3 में अंकित आराजीयात को वादी बैंक निलाम कराकर इस रकम व समस्त रकम को वसूल कर सकता है। यदि निलामी के बाद भी वादी की डिक्री व ब्याज खर्चे की रकम में से कुछ शेष रही तो वादी बैंक को बची हुई रकम को प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 के खिलाफ संयुक्त रूप से व प्रतिवादी संख्या 10 के खिलाफ जमानत के रूप में वसूल कर सकेगा। मूलधन चार हजार रूपए पर दावे की तारीख से अन्तिम चुकाने तक चार प्रतिशत सालाना ब्याज भी दिलाया गया।

उपरोक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी-बैंक द्वारा सीमित प्रश्न पर अपील पेश की गई कि चार हजार रूपए पर ब्याज नहीं दिलाकर दावे की

रकम पर ब्याज दिलाया जाना चाहिए था और दौराने दावा से तावसूली रकम तक चार प्रतिवर्ष की दर से जो ब्याज दिलाया गया है वह नियमानुसार व कानून अनुसार नहीं है एवं अनुबन्धित ब्याज जो था, उसके अनुसार ही दिलाना चाहिए था।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा तर्क किया गया कि रूपए 12,985.60 पैसे का दावा किया गया था, उपरोक्त राशि पर आदेश 34 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों को देखते हुए, चूंकि यह बन्धक पत्र पर दावा किया गया था और चार हजार रूपए उधार दिए गए थे और किश्तों में रकम की अदायगी करनी थी, इस आधार पर ब्याज की राशि कुल दावे की रकम पर माफिक इकरारनामा के 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिलाई जानी चाहिए थी। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपने तर्क समर्थन में इस न्यायालय के विनिश्चय 1994 डी एन जे (राजस्थान) 152 (जयलाल बनाम पंजाब नेशनल बैंक), ए आई आर 1971 (राजस्थान) 38 (श्रीनारायण बनाम लच्छीराम वगै.), ए आई आर 1984 (पंजाब एण्ड हरियाणा) 209 (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम मै. नीरू प्लास्टिक वर्क्स) पर आए विनिश्चय पेश किए। इसी प्रकार इस न्यायालय द्वारा एकल पीठ दीवानी प्रथम अपील संख्या 130/1976, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर बनाम हेमाराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 11.1.1988 की नकल भी पेश की और तर्क किया कि जो अनुबन्ध में ब्याज तय हुआ था वह ही दौराने दावा से तावसूली रकम तक ब्याज दिलाया जाना चाहिए था और दावे की रकम पर दिलाया जाना चाहिए था।

मेरे द्वारा उपरोक्त विनिश्चयों का आदर पूर्वक अवलोकन किया गया। जयलाल बनाम पंजाब नेशनल बैंक (उपरोक्त) वाले प्रकरण में बैंक द्वारा जो

ब्याज की दर अनुबन्ध में तय की जाती है उसको घटाना सार्वजनिक हित में नहीं माना गया है तथा ब्याज की दर यदि कम करने का आदेश दिया जाता है तो सार्वजनिक हित के प्रति अन्याय होना भी माना गया। इस प्रकार जो ब्याज राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देते वक्त जो अनुबन्धित किया जाता है उसी अनुसार ब्याज दिलाया जाना चाहिए।

श्रीनारायण बनाम लच्छीराम वगै. (उपरोक्त) वाले प्रकरण में आदेश 34 नियम 11, 7(1) (c) (i) के प्रावधानों की व्याख्या की है और मोचन (redemption) के बाद में जो ब्याज अनुबन्धित है उसी के अनुसार ब्याज दिलाया जाना चाहिए, जब तक न्यायालय यह नहीं समझे कि यह अत्यधिक है,। उस प्रकरण में 12 प्रतिशत ब्याज की दर को अधिक नहीं माना गया था।

इसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम नीरू प्लास्टिक वर्क्स (उपरोक्त) वाले प्रकरण में भी आदेश 34 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों की व्याख्या की गई है जिसमें भी अनुबन्धित दर के अनुसार ही वादी ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है, सिद्धान्त दिया गया है।

इस प्रकरण में मूल रकम चार हजार रूपए ही थी, इसे नहीं नकारा जा सकता और वाद किया तब ब्याज सहित यह राशि रूपए 12,985.60 पैसे हुई। रूपए 12,985.60 पैसे की प्राथमिक डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की गई है और तीन माह का अवसर इस रकम को अदा करने का दिया गया है और इस अवधि में प्रतिवादीगण यह रकम अदा नहीं करते हैं तो वाद-पत्र के पैरा 3 में अंकित आराजियात को निलाम कराकर इस रकम व समस्त रकम को वसूल कर सकने का स्पष्ट निर्णय किया गया है। मगर तनकी नम्बर 7 के निर्णय में दौराने दावा से तावसूली रकम तक

ब्याज की राशि घटाकर चार प्रतिशत सालाना कर दी, जिसका कोई भी कारण अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दिया। मेरी विनम्र राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का सही रूप से अवलोकन नहीं किया न ही आदेश 34 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों का सही रूप से अवलोकन किया है। बैंक द्वारा यह ऋण दिया गया था और बन्धक पत्र भी लिखा गया था। इस प्रकार उपरोक्त विनिश्चयों में आए सिद्धान्तों को देखते हुए ब्याज की दर, जो अनुबन्धित है, समय पर किश्तें अदा नहीं करने पर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की शर्त रखी गई थी, अत: दौराने दावा से तावसूली रकम तक ब्याज वादी प्रतिवादीगण से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्थान पर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा यह तर्क किया गया कि दावे की कुल रकम पर माफिक इकरारनामा के 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिलाई जानी चाहिए थी, इस बारे में मेरे द्वारा विचार किया गया एवं उक्त विनिश्चयों का अवलोकन किया गया। मेरे द्वारा आदेश 34 नियम 11 सी.पी.सी. का अवलोकन किया गया, जो निम्न प्रकार है :

"**Order XXXIV. SUITS RELATING TO MORTGAGES OF IMMOVABLE PROPERTY.**

11 Payment of interest.-- In any decree passed in a suit for forclosure, sale or redemption, where interest is legally recoverable, the Court may order payment of interest to the mortgagee as follows, namely:-

(a) interest up to the date on or before which payment of the amount found or declared due is under the preliminary decree to be made by the mortgagor or other person redeeming the mortgage-

(i) on the principal amount found or declared due on the mortgage,-at the rate payable on the principal, or, where no

such rate is fixed, at such rate as the Court deems reasonable,

(ii) [* * *], and

(iii)on the amount adjudged due to the mortgagee for costs, charges and expenses properly incurred by the mortgagee in respect of the mortgage-security up to the date of the preliminary decree and added to the mortgage-money,-at the rate agreed between the parties, or, failing such rate, [at such rate not exceeding six per cent per annum as the Court deems reasonable]; and

(b) Subsequent interest up to the date of realisation or actual payment on the aggregate of the principal sums specified in clause (a) as calculated in accordance with that clause at such rate as the Court deems reasonable."

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 34 नियम 11 के अवलोकन से, इस प्रकरण में योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा जो तर्क किया गया कि दावे की कुल रकम 12,985.60 पैसे पर ब्याज दिलाया जाना था, मानने योग्य नहीं रहता। आदेश 34 नियम 11 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि मूल रकम जो निकलती है उस पर ही ब्याज दिलाया जा सकता है। मगर यह ब्याज जो अनुबन्धित है उसी के अनुसार दिलाया जाना चाहिए।

उपरोक्त विनिश्चयों में आए सिद्धान्तों को देखते हुए व आदेश 34 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान को देखते हुए, इस प्रकरण में ब्याज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई उचित आधार के दौराने दावा से तावसूली रकम तक चार प्रतिशत की दर से दिलाया है, जो कतई उचित नहीं था। समय पर किश्तें अदा नहीं की गई है, इस पर ब्याज 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रखी गई है एवं मूल रकम चार हजार रूपए की आती है, अत: इस राशि पर दौराने दावा से तावसूली रकम तक 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वादी-अपीलाण्ट प्राप्त करेगा।

उपरोक्त प्रकार से यह अपील अपीलाण्ट अंशत: रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.4.1985 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि तारीख दावा 17.4.1982 से तावसूली रकम तक चार हजार रूपए मूल रकम पर अपीलाण्ट-वादी प्रतिवादीगण से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के स्थान पर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(न्‍ यायाधिपति कृष्‍ णकुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा